

पीठासीन अधिकारी - संदेश नायक, आई.ए.एस., जिला कलक्टर, चूरू (राजस्थान)

प्रार्थना-पत्र (सरफैसी) संख्या 10 सन् 2020

दायरा दिनांक 12.2.2020

आवास फायनेसियर्स लिमिटेड (जो पूर्व में ए.यू. हाऊसिंग फायनेन्स लिमिटेड के नाम से जाना जाता था) मुख्य व्यवसायिक कार्यालय 201-202, द्वितीय तल, साऊथ एण्ड स्कवायर, मानसरोवर इण्डस्ट्रीयल एरिया, जयपुर-30202

-प्रार्थी

बनाम

1. जीवराज मेघवाल पुत्र मोहनराम मेघवाल, पता- वार्ड नंबर 10, ग्राम चंदेलनगर, तहसील व जिला चूरू (द्वितीय पता- पट्टा, नंबर 8 का दक्षिणी भाग, मिसल नंबर 18, ग्राम चंदेल नगर, ग्राम पंचायत खीवासर, पंचायत समिति, चूरू- 331001)
2. सुनीता पत्नी जीवराज मेघवाल, पता- वार्ड नंबर 10, चंदेल नगर, तहसील व जिला चूरू
3. नारायणदत्त पुत्र मानाराम, पता- ग्राम चंदेल नगर, तहसील व जिला चूरू

-अप्रार्थीगण

प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा 14 वितीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित परिवर्तन अधिनियम 2002

उपस्थित:- श्री पंकज सिंह, अधिवक्ता - प्रार्थी

--:: निर्णय ::--


निर्णय दिनांक 5.3.2020

1. प्रकरण में संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अप्रार्थी संख्या 1 व 2 को प्रार्थी से दिनांक 28.12.2016 को 4,00,000/- रुपये (अखरे चार लाख रुपये मात्र) ऋण की सुविधा दी गई थी तथा अप्रार्थी श्री जीवराज मेघवाल पुत्र मोहनराम मेघवाल की आवासीय भूमि पट्टा नंबर 8 का दक्षिणी भाग, मिसल नंबर 18, ग्राम चंदेल नगर, ग्राम पंचायत खीवासर, पंचायत समिति, चूरू में स्थित भूमि, भवन एवं ढांचा आदि जो सभी सम्पत्ति के अभिन्न अंग है। जिसका माप 2000 वर्गफीट है का सामयिक बंधन करवाया था, जिसका आसा-पासा इस प्रकार है। उतर में - पट्टाधारी बीरूराम पुत्र मोहनराम मेघवाल की शेष भूमि, दक्षिण में - प्रहलादराम मेघवाल, पूर्व में - सड़क, पश्चिम में - कृषि भूमि।

जिला कलक्टर

2. ऋणी द्वारा उपलब्ध ऋण बैंक को नियमानुसार नहीं चुकाने के कारण ऋण खाता बैंक ने दिनांक 30.4.2019 को एन.पी.ए. घोषित कर दिया गया तथा प्रार्थी ने दिनांक 2.5.2019 को अप्रार्थीगण को रजिस्टर्ड नोटिस जारी कर दिया।
3. अप्रार्थी द्वारा बैंक के ऋण राशि व ब्याज राशि अदा नहीं किए जाने पर यह प्रार्थना-पत्र प्रार्थी द्वारा धारा 14 वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित परिवर्तन अधिनियम 2002 मय दिनांक 16.8.2016 को हुए संशोधन के अन्तर्गत इस न्यायालय में प्रस्तुत किया।
4. प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया।
5. अप्रार्थी ऋणियों द्वारा ऋण राशि वापस भुगतान में चूककर्ता रहने पर बैंक द्वारा उपरोक्त अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत रजिस्टर्ड डाक से नोटिस भेजा गया है जिसके बावजूद अप्रार्थी द्वारा राशि जमा नहीं करवाई गई है। जिससे The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Securities Interest Act, 2002 की धारा 14 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों एवं राज्य सरकार के आदेश क्रमांक 25(1) Plan/1F/VI/2005/P II Jaipur दिनांक 10.3.2006 एवं संशोधन दिनांक 16.8.2016 में दिए गए निर्देशों के अनुसार प्रार्थी का प्रार्थना-पत्र स्वीकार किया जाता है व अप्रार्थी द्वारा ऋण सुविधा लेते समय जिस सम्पत्ति को परिसम्पत्ति के रूप में प्रार्थी के पक्ष में बंधक किया गया था (रिकॉर्ड के अनुसार) उस सम्पत्ति का भौतिक रूप से कब्जा प्रार्थी को जरिये पुलिस अधीक्षक, चूरु से प्राप्त किए जाने के आदेश दिए जाते हैं।
6. निर्णय की प्रतिलिपि प्रार्थी एवं पुलिस अधीक्षक, चूरु को पालनार्थ भिजवायी जावे। पत्रावली नम्बर में से कम की जाकर नियमानुसार दाखिल दफ्तर हो।
7. निर्णय आज दिनांक 5.3.2020 को खुले न्यायालय सुनाया गया।




 (संदेश नायक)
 जिला कलेक्टर, चूरु